भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4512

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

तिलम् संघ का बकाया

4512. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम् संघ) को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा वर्ष 2007-08 और 2014-15 के बीच की गई खरीद के लिए 57.04 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान विभाग द्वारा बिना किसी स्पष्ट औचित्य के 41.57 करोड़ रुपए की लागत में कटौती की गई थी;

(ग) वर्ष 2015-16 (6.73 करोड़ रुपए), 2016-17 (7.37 करोड़ रुपए) और 2017-18 (3.34 करोड़) के लिए दावों के भुगतान हेतु दावों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या दरों के निर्धारण में विलंब के कारण यह राशि अभी भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं विशेषकर श्रीगंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमन्द, कोटा और झालावाड़-बूंदी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलम् संघ को लंबित भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद/वितरण के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति का विकल्प चुना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा उन्हें सौंपे गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए धनराशि भी जारी की जाती है। राजस्थान एक गैर-डीसीपी राज्य होने के कारण एफसीआई से धनराशि प्राप्त करता है।

राज्य सरकार द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) को प्रस्तुत लेखापरीक्षित खातों और सहायक दस्तावेजों के आधार पर खरीद आकस्मिक व्यय की अंतिम दरें निर्धारित की जाती हैं और आकस्मिक व्यय की अनंतिम दरों और अंतिम दरों के बीच किसी भी अंतर को तदनुसार निपटाया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरएमएस 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार के सभी दावों का निपटान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा जारी अंतिम लागत पत्रक के अनुसार किया गया है।

*****